न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

**अपील संख्या आर टी ए/379/2018**

**उनवान**

1. अमर सिंह पुत्र सवाई सिंह राजपूत निवासी थाना तहसील करेडा, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. पदम सिंह सवाई सिंह राजपूत निवासी थाना तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, करेडा , तहसील करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 280/2007 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6.6.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री राकेश सुराणा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1,
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 29.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थाना पटवार हल्का थाना तहसील करेडा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संयुक्त खातेदारी अधिकारों एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 3589 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 3590 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 3591 रकबा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 3648 रकबा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 3649 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 3706 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 3707 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 3710 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 3711 रकबा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 3729 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 3731 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 3735 रकबा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 3736 रकबा 3 बीघा , आराजी नम्बर 3739 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 3946 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 3948 रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 39672/2 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, कुल किता 17 कुल रकबा 34 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है।

2. उक्त आराजियात में वादी का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हक हिस्से पर काबिज हो आराजियात का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादी का उपरोक्त आराजियात में 1/2 हक हिस्सा है तदनुसार वादी आराजी नम्बर 3589 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 3590 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 3591 रकबा 03 बिस्व, आराजी नम्बर 3648 रकबा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 3649 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 3706 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 3707 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 3710 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 3711 रकबा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 3729 रकबा 10 बिस्वा आराजी नम्बर 3731 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 01 आराजी नम्बर 3739 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, आराजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर 3946 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 3948 रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि सामलाती दर्ज होने से पक्षकारान के मध्य आये दिन विवाद बना रहता है तथा पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से का समुचित विकास नहीं कर पा रहे हैं। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 1.4.2018 को निवेदन किया कि कब्जा अनुसार विभाजन करा राजस्व रेकार्ड में खाता अलग अलग दर्ज करवा लेवें लेकिन इस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 तैयार नहीं हुए तथा उन्होनें विभाजन कराने से इंकार कर दिया । अतः वादग्रस्त आराजियात की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी फरमाई जाकर ग्राम थाना की आराजी नम्बर आराजी नम्बर 3589 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 3590 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 3591 रकबा 03 बिस्व, आराजी नम्बर 3648 रकबा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 3649 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 3706 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 3707 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 3710 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 3711 रकबा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 3729 रकबा 10 बिस्वा आराजी नम्बर 3731 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा का खाता व लगान वादी के नाम पर दर्ज किये जाने तथा आराजी नम्बर 3739 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 3946 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 3948 रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 17 भूमि का खाता व लगान प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं थी। हाल ही में रेस्पोडेण्ट्स अपीलार्थी के कब्जे व कृषि आराजियात में आये तथा अपीलार्थी को जबरन बेदखल करने की कोशिश की व कहा कि मैन रोड की जमीन तो प्रत्यर्थी ने अपने नाम दर्ज करवा ली है । इस कारण अपीलार्थी/प्रतिवादी को बेदखल करेंगें तो जिस पर पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल प्राप्त की । उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । दिनांक 8.10.2018 को निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है । उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं कराई गई है। जिससे अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया था। राजस्व लोक अदालत के जो नोटिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये हैं उस पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर फर्जी है। अपीलार्थी ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 सेवानिवृत गिरदावर है जिसने तामील कुनिन्द से मिलीभगत कर फर्जी तामील करवाकर एकपक्षीय कार्यवाही कराई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही दिन में निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री तथा उसी दिन निर्णय एवं अतिम डिक्री पारित की है । प्रत्यथी संख्या 1 ने पटवारी हल्का एवं गिरदावर से मिली भगत कर वाद में जिस जगह अपना कब्जा बताया उसी भूमि जो कि मेन रोड व फोर लाईन निकल रहा है जिससे सटी हुई है जिसको प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में बताकर गांव से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित अनुपयोगी भूमि को अपीलार्थी के हक में रखकर उसी दिन बंटवाडा प्रस्ताव पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधर पर मौका पर्चा नही होने के बावजूद अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि सभी सहखातेदारान का प्रत्येक आराजी की प्रत्येक ईंच पर समान अधिकार होता है। लेकिन पटवार हल्का ने जो पर्चा मौका तैयार किया है वह मिलीभगत करके तैयार किया गया है । उक्त बंटवाडा प्रस्ताव मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तैयार नहीं किया गया है।

8. राजस्व लोक अदालत कैम्प न्याय आपके द्वार अभियान केम्प थाणा में दिनांक 14.5.2018 की तारीख पेशी नियत थी। जो कि मामला वास्ते तामील हेतु कायम था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक में रखकर बिना अपीलार्थी की प्रोपर तामील हुए बिना जवाब पेश करने का अवसर प्रदान किये, तनकियात भी कायम नहीं की प्रकरण को एक ही दिन में निस्तारित कर दिया गया । जबकि प्रकरा में अपीलार्थी द्वारा राजस्व लोक अदालत में किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने की स्थिति में किया जा सकता है। अपीलाधीन निर्णय अपीलार्थी के हक हितों के विपरीत पारित किया गया है। जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं अपीलाधीन निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल रखी जावे।

9. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि एकतरफा कार्यवाही की गई थी। तो अपीलार्थी/प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील भी 6 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण भी नहीं दर्शाया गया है। अतः अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

10. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मौके पर तहसीलदार द्वारा जाकर मौका पर्चा तैयार करवाया गया है। मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है। जो विधिसम्मत है।

11. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेवेन्यू बोर्ड रूल्स के आधार पर निर्णय पारित होना चाहिये था। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। प्रत्यर्थी से काफी अधिक भूमि अपीलार्थी को मिली है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12. रिबटल में अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसकी पालना तहसीलदार द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही दिन में निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री एवं उसी दिन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। जबकि एक ही दिन मे प्रारंभिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त की जावे।

13. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/प्रतिवादी को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हुई थी। जिससे अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 17.4.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जाने का अंकन किया जाकर प्रकरण में आगामी दिनांक 30.4.2018 नियत की गई। उक्त नोटिस बाद तामील अथवा अदम तामील अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। दिनांक 30.4.2018 को पीठासीन अधिकारी के कानून व्यवस्था में रहने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.5.2018 नियत की गई। दिनांक 14.5.2018 को प्रकरण की पत्रावली कैम्प थाणा में पेश हुई एवं इस दिन प्रकरण में अपीलार्थी/प्रतिवादी की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए प्रकरण में प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14. इसी दिन बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार करेडा द्वारा प्रस्तुत करने पर निर्णय एंव अंतिम डिक्री पारित की गई है। प्रकरण को लोक अदालत केम्प थाणा में रखने एवं राजस्व लोक अदालत कैम्प में उपस्थित होने बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.5.2018 को अटल सेवा केन्द्र, थाना में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया है। जिसकी पुश्त पर अमर सिंह अपीलार्थी एवं पदम सिंह प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर है। जिसके संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी ने उक्त नोटिस की पुश्त पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। हस्ताक्षर फर्जी होकर कूटरचित है।

15. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी ने विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत किया था। मूल वाद में चूंकि पक्षकारों के हक हितों का बाद विचारण अंतिम रूप से निर्णय किया जाता है। ऐसी स्थिति में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है।

16. अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र पंजिबद्ध किये जाने के उपरान्त जो नोटिस जारी किया गया था वह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बाद तामील अथवा अदम तामील संलग्न नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो में अपीलार्थी के हस्ताक्षर एवं लोक अदालत कैम्प थाना में उपस्थित होने बाबत जो नोटिस की पुश्त पर हस्ताक्षर हैं वह भी भिन्न है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं होना प्रकट होता है।

17. बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में जो बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है उस पर अपीलार्थी/प्रतिवादी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव वादी की उपस्थिति में तैयार किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया है। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति अपीलाधीन प्रकरण में सुनिश्चित नहीं की गई है।

18. विभाजन के वाद में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये । न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2017 (2) पेज 1104 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने तथा उभयपक्षकारान की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौजूदगी में तैयार किया जाना चाहिये। अपीलाधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है।

19. विभाजन के वाद में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का समान रूप से विभाजन किया जाना चाहिये था। मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन की डिक्री पारित की जानी चाहिये। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी को 18 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई है जबकि प्रत्यर्थी/वादी को 15 बीघा 04 बिस्वा भूमि ही प्राप्त हुई है । जबकि वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी का 1/2, 1/2 हक हिस्सा निहित था। भूमि का बंटवाडा समान रूप से नहीं किया गया है।

20. अपीलाधीन प्रकरण में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय यदि उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती तो निश्चय ही यदि किसी पक्षकार को कोई आपत्ति होती तो वह बंटवाडा प्रस्ताव के समय प्रस्तुत कर सकता था एवं उसका निस्तारण वक्त बंटवाडा प्रस्ताव ही किया जा सकता था। परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय उभयपक्ष की उपस्थिति भी सुनिश्चित नहीं की गई है एवं न ही अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय मे

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया है। अतः प्रकरण में जवाब दावा लिये जाने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुंत करने का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

21. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14.5.2018 तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 14.5.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में गुणावगुण पर विवेचन कर विस्तृत निर्णय पारित करे । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27-6-19 को उपस्थित रहे।

22. आदेश आज दिनांक 29.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा